सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 30/17 **निर्णय दिनांकः 04.06.2019**

1.	आसीदेवी	पत्नी/पुत्र/पुत्री मोहनराम जाति बावरी निवासी चक 13 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2.	सोनादेवी	
3.	रामकरण	
4.	जगदीश	
5.	चुन्नीलाल	
6.	भगवानराम	

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. बच्चनसिंह पुत्र हजारीराम जाति बावरी निवासी चक 13 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 17—12—2015
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 17—12—2015 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि चक 13 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 164/1 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट के पूर्वज स्व. मोहनराम के नाम से वसीयतशुदा भूमि थी। जिस पर वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त गैर खातेदारी भूमि की वसीयत को अवैद्य मानते हुए आराजी जैर को आराजीराज कर दिया गया। लेकिन वादग्रस्त भूमि से कभी भी अपीलांट्स को बेदखल नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तलबी हेतु जैरकार थी, परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा मात्र स्टेट का जवाब लेते हुए बिना वादप्रक्रिया को अपनाये अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 13 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 164/1 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि गवरादेवी बेवा चुन्नीलाल जाति नायक को पुख्ता आवंटित थी जिसने अपीलांट्स के पिता व पति स्व. मोहनलाल के नाम से दिनांक 09—01—1979 को वसीयत कर दी तथा स्व. मोहनलाल गवरादेवी के जीवनकाल से ही वादग्रस्त भूमि को काश्त करता आ रहा है। गवरादेवी लाऔलाद फौत होने पर मोहनराम एक मात्र वैधानिक वारिस था तथा मोहनराम के स्वर्गवास के उपरान्त आराजी जैर अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट्स ही वादग्रस्त भूमि से संबंधित समस्त सरकारी रकम अदा करते आ रहे है तथा पानी की पर्ची भी अपीलांट के नाम से बनी हुई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट्स व उनके पूर्वज आराजी जैर पर सन् 1979 से काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि उन्हें अतिक्रमी भी माना जावे तो भी करीब 38 वर्षो से अधिक समय से अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिससे उन्हें वादग्रस्त भूमि को अपने नाम

अतिक्रमण नियमन कराने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अतिक्रमण को नियमन करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को ध्यान में रखे बिना अपीलांट का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादग्रस्त भूमि आराजीराज है, आराजीराज एवं गैर खातेदारी की भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। भूमि आराजीराज होने के कारण वादी का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। जबकि अपीलांट/वादी द्वारा दादरसी का अनुतोष चाहा गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय को अतिक्रमण मानते हुए वादग्रस्त भूमि के नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परीक्षण न्यायलय द्वारा उक्त अनुतोष पर किसी प्रकार का कोई विवेचन किये बिना अपीलांट का दावा निरस्त करने में क्षेत्राधिकार की त्रूटि की है। वादग्रस्त भूमि जिस पर आवंटन की दिनांक से ही आवंटन के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

अदालत मातहत द्वारा धोषणात्मक वाद का निर्णय मात्र सरसरी तौर पर कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की धोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, पूगल ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए तकनीकी आधार पर वाद खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के वादी के पक्ष में किये गये आवंटन की वैद्यता एवं कब्जे की सुरक्षा के अनुतोष के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की तथा काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद को प्रतिनिषिध बताकर खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अविवेकपूर्ण तथा कानूनी प्रावधानों से असंगत है। वादी/अपीलांट ने यदि गलती से गैर खातेदार दर्ज करने के अनुतोष

का उल्लेख भी कर दिया है तथा इससे वर्ष 1979 में किये गये आवंटन आदेश के अस्तित्व तथा उक्त आदेश के तहत प्राप्त कब्जे की स्थिति को इंकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में न्यायालय को व्यापक अधिकार है कि वादपत्र में उल्लेख किये बिना भी न्यायालय के विवेक से अतिरिक्त अनुतोष दे सकता है। वादी/अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन के आधार पर पुराने कब्जे काश्त का नियमन करने का भी उपनिवेशन (इगानप आवंटन नियम) 1975 के नियम 21 में विशेष प्रावधान है। अपीलांट उपनिवेशन नियमों के तहत कब्जे काश्त के आधार पर कब्जे का नियमन करवाने की पात्रता रखता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—12—2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में आवंटन के बाद से कब्जा यथावत है तो पात्रता की जॉच करते हुए नियमन हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर